परिशिष्ट [1/4/2016] एक (9)

प्रश्न संख्या [क्र. 6638]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 6638 द्वारा डॉ. गोविन्द सिंह.

वर्ष 2015 में सेलटेक्स विभाग (वाणिज्यिक कर विभाग) में प्रथम श्रेणी स्तर के तीन अधिकारियों को लोकायुक्त द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया।

1- विपुस्था इन्दौर द्वारा दिनांक 16.01.15 विरूद्ध श्री उमेश तिवारी, सहायक आयुक्त, वाणिजियक कर कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, एन्टी इवेजन ब्यूरो इन्दौर-बी

2- विपुस्था सागर द्वारा दिनांक 20.11.15 विरूद्ध श्री एच.एस.ठाकुर संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, सागर

3- विपुस्था सागर द्वारा दिनांक 20.11.15 विरूद्ध श्री जलज रावत, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, सागर

उक्त पकडे गए तीनों अधिकारियों में से केवल श्री उमेश तिवारी सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, एन्टी इवेजन ब्यूरो इन्दौर को शासनादेश क्रमांक एफ ए 6-11/2015/1/पांच,दिनांक 280115 से निलंबित कर मुख्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय इन्दौर से सम्बद्व किय गया हैं। श्री एच.एस.ठाकुर, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, सागर एवं श्री जलज रावत, सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर के विरूद्ध थाना विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपराध क्रमांक 548/2015, धारा 7, 12, 13 (1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दिनांक 20.11.2015 को आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में शामिल किया गया है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र एफ-11-19/2011/1-10/भोपाल, दिनांक 23.02.12 द्वारा शासन के समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है कि ट्रेप अथवा छापे के प्रकरण में आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का तीन कार्य दिवस के भीतर उस पद पर जिस पर रहते हुए ट्रेप/छापे की कार्यवाही हुई है, से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाए। जिसके सम्बंध में विपुस्था सागर द्वारा पत्र दिनांक 23.11.15 से भी लिखा गया है। अतः मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 6-85/2015/1/पांच,भोपाल दिनांक 02 दिसम्बर 2015 से श्री एच.एस.ठाकुर, संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, सागर संभाग को अपीलीय प्राधिकारी एवं उपायुक्त, वाणिज्यिक कर भोपाल तथा श्री जलज रावत, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, सागर संभाग को विधि प्रकोष्ठ इन्दौर झोन-1 में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त स्थानान्तरित कर पदस्थ किया गया है। इनकी पदस्थापना एण्टी इवेजन ब्यूरो जैसे अति संवेदनशील विंग में नहीं होने से इन्हें निलंबित नहीं करने का निर्णय लिया गया। चालान प्रस्तुत होने पर श्री एच.एस.ठाकुर, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर को एवं श्री जलज रावत, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर को निलंबित किए जाने की कार्यवाही की जावेगी। मेसर्स पेपटेक हाउसिंग प्रा.लि.छतरपुर प्रकरण क्र. मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 34(1) के अधीन नवीन करनिर्धारण पारित दिनांक 15.05015 से श्री टी.सी.वैश्य, तत्कालीन सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, सागर (वर्तमान में सेवानिवृत) द्वारा वैट एवं प्रवेशकर प्रकरण में अतिरिक्त मांग निरंक निकाली गई है। इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

18/3/16

संचालक,
वाणिज्यिक कर,मध्यप्रदेश
इन्दौर

26.3.16
अवर सचिव
म० प्र० शासन
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

VS-email 17-03-2016